रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 1975/आश्विन 7, 1897

No. 396] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 1975/ASVINA 7, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No. .../.../...
Date...

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

*New Delhi, the 29th September 1975*

**S.O. 550(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), the Central Government hereby appoints Smt. Vidya M. Shah, President, New Delhi Municipal Committee and Shri B. R. Tamta, Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Delhi, as members of the Delhi Transport Corporation and makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 255(E), dated the 2nd May, 1973, namely:—

In the said notification—

(a) for item (viii) and the entries relating thereto the following shall be substituted, namely:—

"(viii) Shrimati Vidya M. Shah, President, New Delhi Municipal Committee."

(b) after item (x), the following shall be inserted, namely:—

"(xi) Shri B. R. Tamta, Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Delhi."

[No. 15-TAG(35)/73.]

N. R. REDDY, Jt. Secy.

## नौवहन और परिवहन मन्त्रालय

### (परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

**का० आ० 550(अ).**—सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्रीमती विद्या एम० शाह, अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका तथा बी० आर० टमटा, नगर पालिका आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को दिल्ली परिवहन निगम के सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० आ० 225 (ई), दिनांक 2 मई, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में :—

(क) मद (8) तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाये, अर्थात :—

"(8) श्रीमती विद्या एम० शाह,
अध्यक्ष, नई दिल्ली, नगर पालिका।"

(ख) मद (10) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाये, अर्थात :—

"(11) श्री बी० आर० टमटा,
नगर पालिका आयुक्त,
दिल्ली नगर निगम।"

[सं० 15-टी० ए० जी० (35) 73]

एन० आर० रेड्डी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1975